उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-192/2019/2811/92-2-19-106जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 09 दिसम्बर,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-फैजाबाद में वर्ष 2012-13 में पूर्वान्चल विकास निधि योजनान्तर्गत कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो में कूटरचित एवं अनियमित ढंग से भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचाये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-216/2017/3309/92-2-17-106जांच/2017 दिनांक 18-12-2017 द्वारा श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री राव को बार-बार बचाव उत्तर का अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर न प्राप्त होने पर जॉच अधिकारी के पत्र दि0 12-10-2018 द्वारा एक पक्षीय जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक पक्षीय जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित सभी आरोप स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दि0 31-10-2018 से अपचारी अधिकारी, श्री राव का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दि0 19-03-2019 व 31-07-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर स्थापित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में स्वीकृत सम्पर्क मार्ग दमगढी पुल से लालपुर तक पेन्टिंग कार्य के स्वीकृत आंगणन में जी0एस0बी0 का प्राविधान होने के बावजूद भी आप द्वारा जी-1 ग्रेड गिटटी से कार्य कराया गया है तथा इसी मार्ग पर जी-2 ग्रेड गिटटी के साथ निंग मैटेरियल का प्रयोग नहीं कराया गया है। अधीक्षण अभियंता, परि0-फैजाबाद के निरीक्षण दिनांक 07-10-2017 के समय उक्त कार्य पर जी-2 का कार्य प्रगति में पाया गया, जबकि श्री एस0पी0 राव द्वारा इस कार्य का माप पुस्तिका संख्या-718/एल के पृष्ठ सं0-39 से 40 पर अनियमित रूप से ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतु भुगतान कराया गया है। श्री राव द्वारा माप पुस्तिका में चैनेज का भी कोई उल्लेख नहीं कराया गया है। इस प्रकार उक्त कार्य के निर्माण में अनियमित कार्य प्रणाली अपनाते हुये उनके द्वारा कूट रचित प्रयास करके जी1 प्रयोग करने के उपरांत भी उसके स्थान पर जी0एस0बी0 का मापांकन कराया गया है जबकि जी-2 का कार्य अनियमित होते हुये श्री ठेकेदार को भुगतान करा दिया गया। इस प्रकार उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन समुचित ढंग से न करते हुये उक्त मार्ग पर जी0एस0बी0 मद में मु0रू0 12,63,179.37 तथा जी-2 के अिनयमित कुटाई मद में मु0रू0 9,64,399.77 का मापांकन कूटरचित व फर्जी भुगतान कराया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया। इस प्रकार आप उक्त संपर्क मार्ग के निर्माण में अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुये उक्त अनियमित धनराशि का भुगतान कराकर शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये श्री राव को उत्तरदायी पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

जॉच अधिकारी द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर नहीं दिया गया।

जांच अधिकारी की जांच आख्या

अपचारी अधिकारी द्वारा अपना बचाव उत्तर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अनुमोदित आरोप पत्र के संलग्न साक्ष्य अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-फैजाबाद की निरीक्षण आख्या दि0 07.10.2017 में दर्शायी गयी स्थितियां बचाव उत्तर के अभाव में उक्त संपर्क मार्ग के निर्माण में अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुये अनियमित धनराशि का भुगतान कराकर शासकीय क्षति पहुंचाने का आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाया जाता है।

अपचारी अधिकारी का अभिकथन/अभ्यावेदन

उ0प्र0 शासन, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.04.2018 के क्रम में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-लखनऊ द्वारा जारी आरोप पत्र पर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु उनके द्वारा जांच अधिकारी से बचाव अभिलेख की मांग की गयी, परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा बचाव अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया, जिसके कारण लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असुविधा हुई। जांच अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध आरोप को स्थपित करते हुये एक पक्षीय जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करा दी गयी। जॉच आख्या एकपक्षीय होने तथा बचाव अभिलेख न उपलब्ध कराने के बावजूद जॉच आख्या प्रेषित किया जाना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण जांच आख्या निरस्त होने योग्य है।

कार्य के प्रारम्भिक आंगणन में जिसमें जी-1 का प्राविधान था, जिसके क्रम में शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त विषयक कार्य के प्रथम किश्त का कार्य भी तकनीकी स्वीकृति आंगणन के प्राविधान जी-1 के अनुसार ही कार्य सम्पादित हुआ था। अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-अयोध्या के पत्र दि0 16.01.2019 द्वारा अधीक्षण अभियंता को प्रेषित आख्या में स्पष्ट उललेख किया गया है कि इस कार्य हेतु संलग्न जी-1 की दरें यदि गणना की जाय के तो जी0एस0बी0 के सापेक्ष लगभग 900 रू0 प्रति घन मी0 अधिक थी। उनके द्वारा अनुबंध के अनुसार जी0एस0बी0 के दर का ही भुगतान हेतु संस्तुति की गयी है। जहॉ कहीं जी0एस0बी0 ओवर साइज था, तो जी-1 जैसा परिलक्षित हो रहा था, उसके लिये उनके द्वारा ठेकेदार को पत्थर तोडने के लिये निर्देशित किया गया, साथ ही साथ उनके स्तर से भी संबंधित ठेकेदार को पत्र लिखा गया था, फिर भी यदि कहीं जी0एस0बी0 ओवरसाइज पत्थर न तुडने के कारण जी-1 परिलक्षित हुआ तो उसे जी0एस0बी0 मानते हुये उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर जी0एस0बी0 मानते हुये मापी की गयी, तदनुसार ही भुगतान हेतु देयक उपखण्ड स्तर पर प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा जी0एस0बी0 के ओवरसाइज पत्थर, जो जी-1 के रूप में परिलक्षित हुए, का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

दमगढी पुल से लालपुर तक पेन्टिंग कार्य में जी0एस0बी0 का कार्य गुणवत्ता पूर्वक सम्पादित कराकर दि0 10.01.2017 को जी0एस0बी0 के ओवर साइज पत्थर को जो जी-1 परिलक्षित हो रहे थे, को जी0एस0बी0 मानते हुये अवर अभियंता द्वारा की गयी पर उनके द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त देयक पारित किया गया तथा तदोपरान्त प्रखण्ड स्तर पर सम्प्रेक्षण लिपिक के समप्रेक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा प्रखण्डीय लेखाधिकारी के विवीक्षित (Vetted) करने के उपरांत अधिशासी अभियंता द्वारा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ठेकेदार को भुगतान किया गया। लोक निर्माण विभाग के इतिहास प्रशासनिक संरचना तथा कार्य प्रणाली के संक्षिप्त परिचय में अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता का दायित्व निम्नानुसार उल्लिखित है :-

अधिशासी अभियंता

खण्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्पादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत आंगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिये उत्तरदायी है। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। जिलाधिकारी के अधीन कार्यो की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कराने के लिये उत्तरदायी है। अवर अभियंता द्वारा निर्माण सामग्री की मात्राओं को ठीक-ठाक माप करके माप पुस्तिकाओं में अंकित करने तथा भुगतान के बिलों पर यथास्थिति मात्राओं को सत्यापित करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है।

अवर अभियंता

अवर अभियंता निर्दिष्ट कार्य वितरण के अनुसार कार्यो हेतु निर्माण सामग्री की मात्राओं को ठीक-ठाक माप करके माप पुस्तिकाओं में अंकित करने तथा भुगतान के बिलों पर यथा स्थिति मात्राओं को सत्यापित करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है। वे प्रत्येक अधीनस्थ निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता मानको के अनुसार स्थल पर कार्य कराने के लिये उत्तरदायी है। ठेकेदारों के कार्यो में कम प्रगति, अनियमित कार्य प्रणाली अधोमानक सामग्री की आपूर्ति अथवा विभागीय निर्देशों के नियमों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में उच्चाधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराने के लिये भी उत्तरदायी है। मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 18-10-82 के द्वारा अवर अभियंता/सहायक अभियंता के कर्तव्य उत्तरदायित्व प्रसारित किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत है :-

Junior Engineer/Asstt. Dev. Officer

Junior Engineer is responsible to carry out and supervise all works in his charge in proper order. He should bring to the notice of the Asstt. Engineer any difficulty noticed by him and make immediate arrangement for rectifying difficulties. He should submit punctually the progress report of the works to the Assistant Engineer as and when required. He is responsible that all works in his charge are carried out in a workman like manner and according to instruction.

कार्य के स्वीकृत आंगणन में जी0एस0बी0 के प्राविधान होने के कारण कार्यस्थल पर जी0एस0बी0 के ओवर साइज पत्थर को तुडवाकर कार्य सम्पादित कराया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादन के पूर्व जी-1 का कार्यस्थल पर एकत्रीकरण किया गया था। अनुबंध के **Section 4 part 1 General Condition of contract** के **C.Quality Control** के प्रस्तर 30, 30.1, 31 एवं 31.1 में निम्नानुसार उल्लिखित है:-

30. Identifying defects.

30.1 The Engineer shall check the Contractor's work and notify the Contractor of any Defects that are found. Such checking shall no affect the Contractor's responsibilities. The Engineer may instuct the Contractor to search for a Defect and to uncover and test any work that the Engineer considers may have a Defect.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

31 Tests

31.1 For Carrying out mandatory tests as prescribed in the specification. The Contractor shall establish field laboratory at the location decided by Engineer. The field laboratory will have minimum equipments as specified in the Contract Data. The contractor shall be solely responsible for :

a. Carrying out the mandatory tests prescribed in the Specifications, and

b. For the correctness of the test result, whether preformed in his laboratory or elsewhere.

उक्त प्राविधानों के अंतर्गत उपखण्ड के पत्र दि0 29-12-2016 द्वारा संबंधित ठेकेदार, श्री भरतराज वर्मा, देवगढ धारूपुर, फैजाबाद को नोटिस दिया गया कि "आपके नाम गठित अनुबंध सं0-16/एसई0 दिनांक 16.12.2016 द्वारा रूदौली में दमगढी पुल से लालपुर रोड पर पेन्टिंग कार्य कराया जा रहा है, जिस पर जी0एस0बी0 में बडे-बडे पत्थर डाले गये हैं जो प्राक्कलन एवं मानक के अनुरूप नहीं है। अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि जी0एस0बी0 के बडे पत्थरों को तोडकर मानक के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें तथा अपनी अनुपालन आख्या भी प्रेषित करें एवं जी-1 को हटाकर जी0एस0बी0 का प्रयोग करना सुनिश्चित करें।" जिसके अनुपालन में ठेकेदार द्वारा अपने पत्र द्वारा आख्या दी गयी, सामग्री का उसके पास काफी मात्रा में कलेक्शन है। यद्यपि जी0एस0बी0 ओवर साइज, जो जी-1 जैसी परिलक्षित हो रही है, की दरें जी0एस0बी0 से अधिक है फिर भी जी0एस0बी0 की दर पर भुगतान लिये जाने की ठेकेदार द्वारा सहमति भी दी गयी। अनुबंध के प्राविधान के अनुसार जी0एस0बी0 का प्रयोग सुनिश्चित कराया गया। कदाचित जी0एस0बी0 के ओवर साइज बडे पत्थर, जो जी-1 जैसे परिलक्षित हो रहे थे, का प्रयोग यदि त्रुटिवश कहीं हो गया हो तो इसमें भी किसी प्रकार की शासकीय हानि नही है। कार्यस्थल पर कराये गये जी0एस0बी0 के कार्य की ही मापी की गयी। मार्ग पर जी-2 ग्रेड गिटटी के साथ निर्धारित स्क्रीनिंग मैटेरियल का प्रयोग ठेकेदार द्वारा किया गया था, तदनुसार ही कार्य की मापी की गयी थी।

आरोप कि जी-2 अनियत्रित होते हुये भी कार्य करने से पूर्व ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया, का कथन असत्य, भ्रामक एवं निराधार है। जी-2 के स्तर की जांच कार्य सम्पादन के लगभग 8 माह बाद जी-2 स्तर आवागमन के कारण यथास्थिति में रहने का प्रश्न ही नही उठता है। अनुबंध की शर्तो के अनुसार निर्माणाधीन अवधि में इंगित कमियों का निराकरण हेतु ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था, जिसके लिये ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा किसी प्रकार का अनियमित भुगतान नही किया गया। अत: कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है। उनके द्वारा कराये गये कार्य एवं मापी के बाद अन्य अभियंताओं द्वारा कार्य को संतोषजनक के कारण उस पर जी-3 स्तर तक का कार्य सम्पादित कराया गया तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-अयोध्या के पत्र दिनांक 18.12.2018 जो निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को संबोधित है, के द्वारा लालपुर से दमगढी पुल सम्पर्क मार्ग के संबंध में आख्या दी गयी है कि वर्तमान में जी-2 एवं जी-3 स्तर का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है, शेष प्रगति में है, जिससे स्वत: स्पष्ट है कि उनके द्वारा कराया गया कार्य स्वीकार्य योग्य था, जिसके कारण उनके द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य पर ऊपर का कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्य अभियंताओं द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है।

आरोप पत्र के समर्थन में साक्ष्य सं0-(1) अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-फैजाबाद के पत्र दि0 07.10.2017 की जांच रिपोर्ट की प्रति लगायी गयी है। उक्त जांच आख्या में यह उल्लिखित नहीं है कि जांच किस तिथि को किस चैनेज पर किसके समक्ष की गयी है। उनके समक्ष कथित निरीक्षण नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुई। संभव है कि निर्माण कार्य के पूर्व एकत्रित जी-1 के पत्थर कार्यस्थल पर को ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त कर दिया गया हो तथा किसी स्थल पर अधीक्षण अभियंता को जी-1 परिलक्षित हुये हो।

आरोप के समर्थन में निर्माण सामग्री के कोई भी सीव टेस्ट नहीं लगाये गये है, जिससे निरीक्षण आख्या के प्रतिकूल तथ्य उनके ऊपर स्थापित नहीं होता है। उनके द्वारा माप पुस्तिका 718 एल के पृष्ठ सं0-27, 28, 39 एवं 40 पर मापांकन अवर अभियंता द्वारा किया गया है, उनके द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात देयक पारित किया गया है। माप 50-50 मी0 पर की गयी है। इस प्रकार कही-कही चैनेज का उल्लेख त्रुटिवश अंकित नही हो पाया है, परन्तु निर्माण कार्य के सम्पादित कार्य की लम्बाई में कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार कथित अवर अभियंता द्वारा लिपिकीय त्रुटि के कारण कोई शासकीय क्षति नहीं हुई है। अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट में यह उल्लिखित नही है कि विषयगत माग्र के किस चैनेज पर जांच की गयी है, कथित जांच आख्या के समर्थन में कोई भी टेस्ट नहीं लगाया गया है, जिसके कारण उनके विरूद्ध कूटरचित व फर्जी तथा सम्पूर्ण भुगतान अनियमित पाये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। कथित निरीक्षण आख्या में उल्लेख नही है कि ठेकेदार को इंगित कमी के लिये इम्प्लायर अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता स्तर से तत्समय नोटिस जारी किया गया हो। यदि कोई कमी परिलक्षित हुई हो तो अनुबंध गतिमान होने के कारण संबंधित ठेकेदार से इंगित कमी को ठीक कराया जा सकता है अथवा ठीक न करने पर उसके विरूद्ध अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है परन्तु ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित न किये जाने के कारण उनके विरूद्ध कथित आरोप इस साक्ष्य से प्रमाणित नही होता है।

आरोप के समर्थन में साक्ष्यसं0-(2) माप पुस्तिका सं0-718 एल पृष्ठ सं0-27, 28 तथा 39 एवं 40 की प्रति लगायी गयी है, के संबंध में अवगत कराया गया है कि कराये गये कार्य की मापी अवर अभियंता द्वारा किया गया है, जिस पर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरांत सहायक अभियंता के दायित्वों के अंतर्गत गुणवत्ता सुनिश्चित कर ठेकेदार को भुगतान हेतु सहायक अभियंता के पद के दायित्वों के अंतर्गत देयक पारित किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा सहायक अभियंता के दायित्वों का सजगतापूर्वक निर्वाहन किया गया। अत: इस साक्ष्य से मेरे विरूद्ध आरोप प्रमाणित नही होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अनुपूरक अभ्यावेदन दिनांक 31.07.2019</u>

उनके पर्यवेक्षण में कराये गये सम्पादित कार्य के ऊपर प्रखण्ड से उनके स्थानान्तरण के पश्चात कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कराकर भुगतान किया गया है। मा0 सभापति सावर्जनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के पत्र दि0 02-07-2018 के क्रम में विषयक मार्ग का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-अयोध्या द्वारा दि0 12.06.2019 को किया गया। उनके द्वारा जारी निरीक्षण टिप्पणी में विषयक मार्ग के स्थलीय सत्यापन में कार्य की स्वीकृत लम्बाई 1194.00 मी0 में शून्य से लेपन स्तर तक के प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण पाया गया। विषयक कार्य की फोटोग्राफ उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित की गयी है। इससे स्वत: स्पष्ट है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उनके पर्यवेक्षण में सम्पादित कराया गया कार्य गुणवत्ता पूर्वक एवं संतोषजनक रहा है। कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है।

आरोप संख्या-2

पटरंगा ग्राम पीएमजीएसवाई मार्ग तक पेन्टिंग का कार्य

पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में स्वीकृत पटरंगा ग्राम पीएमजीएसवाई मार्ग से सुलतानपुर तक पेन्टिंग कार्य हेतु स्वीकृत आंगणन में जी0एस0बी0 का प्राविधान होने के बावजूद भी आप द्वारा जी-1 ग्रेड गिटटी का उपयोग कराते हुये माप पुस्तिका संख्या-718/एल के पृष्ठ सं0-25 पर जी0एस0बी0 का मापांकन बिना चैनेज अंकित कराते हुये भुगतान कराया गया है। उक्त मार्ग के अधीक्षण अभियंता,परि0-फैजाबाद के निरीक्षण दिनांक 07.10.2017 के समयजी-2 स्तर का कार्य प्रगति पर था, जिसमें स्क्रैनिंग मैटेरियल का प्रयाग नही किया जा रहा था, जबकि माप पुस्तिका सं0-718 एल के पृष्ठ सं0-36 से 38 पर जी-2 एवं जी-3 का भी भुगतान बिना कार्य कराये ही दि0 10.02.2017 को भुगतान करा दिया गया है। आंगणन में सबबेस में जी0एसबी0 ली गई है जबकि स्थल पर जी-1 (45-90) शंकरगढ गिटटी प्राप्त हुई है। इस प्रकार श्री एस0पी0 राव अनियमित एवं कूटरचित तरीके से जी0एस0बी0 मद में 13,64,739.60 एवं जी-2 मद में मु0 10,41,852.37 तथा जी-3 मद में मु0 10,08,850.95 रूपये का फर्जी एवं अनियमित भुगतान कराने के लिये श्री राव को उत्तरदायी पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

जॉच अधिकारी द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर नहीं दिया गया।

जांच अधिकारी की जांच आख्या

अपचारी अधिकारी द्वारा अपना बचाव उत्तर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अनुमोदित आरोप पत्र के संलग्न साक्ष्य अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-फैजाबाद की निरीक्षण आख्या दि0 07.10.2017 में दर्शायी गयी स्थितियां बचाव उत्तर के अभाव में उक्त संपर्क मार्ग के निर्माण में अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुये अनियमित एवं कूटरचित तरीके से जी0एस0बी0 मद में मु0 13,64,739.60 एवं जी-2 मद में मु0 10,41,852.37 तथा जी-3 मद में मु0 10,08,850.95 रूपये का फर्जी एवं अनियमित भुगतान कराने का आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाया जाता है।

अपचारी अधिकारी का अभिकथन/अभ्यावेदन

उ0प्र0 शासन, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.04.2018 के क्रम में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-लखनऊ द्वारा जारी आरोप पत्र पर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु उनके द्वारा जांच अधिकारी से बचाव अभिलेख की मांग की गयी, परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा बचाव अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया, जिसके कारण लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असुविधा हुई। जांच अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध आरोप को स्थपित करते हुये एक पक्षीय जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करा दी गयी। जॉच आख्या एक पक्षीय होने तथा बचाव अभिलेख न उपलब्ध कराने के बावजूद जॉच आख्या प्रेषित किया जाना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण जांच आख्या निरस्त होने योग्य है।

कार्य के प्रारम्भिक आंगणन में जिसमे जी-1 का प्राविधान था, जिसके क्रम में शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त विषयक कार्य के प्रथम किश्त का कार्य भी तकनीकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति आंगणन के प्राविधान जी-1 के अनुसार ही कार्य सम्पादित हुआ था। अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-अयोध्या के पत्र दि0 16.01.2019 द्वारा अधीक्षण अभियंता को प्रेषित आख्या में स्पष्ट उललेख किया गया है कि इस कार्य हेतु संलग्न जी-1 की दरें यदि गणना की जाय तो जी0एस0बी0 के सापेक्ष लगभग 900 रू0 प्रति घन मी0 अधिक थी। उनके द्वारा अनुबंध के अनुसार जी0एस0बी0 के दर का ही भुगतान हेतु संस्तुति की गयी है। जहॉ कहीं जी0एस0बी0 ओवर साइज था, तो जी-1 जैसा परिलक्षित हो रहा था, उसके लिये उनके द्वारा ठेकेदार को पत्थर तोडने के लिये उनके द्वारा ठेकेदार को पत्र लिखा गया, फिर भी यदि कहीं जी0एस0बी0 ओवरसाइज पत्थर न तुडने के कारण जी-1 परिलक्षित हुआ तो उसे जी0एस0बी0 मानते हुये अवर अभियंता द्वारा मापी की गयी तदनुसार ही भुगतान हेतु देयक उपखण्ड स्तर पर अवर अभियंता द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा जी0एस0बी0 के ओवरसाइज पत्थर, जो जी-1 के रूप में परिलक्षित हुए, में जी-1 का कोई भुगतान हेतु देयक पारित नहीं किया गया है।

विषयक कार्य पटरंगा ग्राम पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से सुलतानपुर तक का पेन्टिंग कार्य में जी0एस0बी0 का कार्य गुणवत्ता पूर्वक सम्पादित कराकर कार्य का पर्यवेक्षण कर दि0 10.01.2017 को जी0एस0बी0 के ओवरसाइज पत्थर को जो जी-1 परिलक्षित हो रहे थे, को जी0एस0बी0 मानते हुये ही मापी की गयी, जिस पर उनके द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त देयक पारित किया गया तथा तदोपरान्त प्रखण्ड स्तर पर सम्प्रेक्षण लिपिक के समप्रेक्षण तथा प्रखण्डीय लेखाधिकारी के विवीक्षित (Vetted) करने के उपरांत अधिशासी अभियंता द्वारा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ठेकेदार को भुगतान किया गया। लोक निर्माण विभाग के इतिहास प्रशासनिक संरचना तथा कार्य प्रणाली के संक्षिप्त परिचय में अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता का दायित्व निम्नानुसार उल्लिखित है :-

<u>अधिशासी अभियंता</u>

खण्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्पादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत आंगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिये उत्तरदायी है। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। जिलाधिकारी के अधीन कार्यो की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कराने के लिये उत्तरदायी है।

अवर अभियंता द्वारा निर्माण सामग्री की मात्राओं को ठीक-ठाक माप करके माप पुस्तिकाओं में अंकित करने तथा भुगतान के बिलों पर यथास्थिति मात्राओं को सत्यापित करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के इतिहास प्रशासनिक संरचना तथा कार्य प्रणाली के संक्षिप्त परिचय में अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता का दायित्व निम्नानुसार उलिलखित है:-

<u>अवर अभियंता</u>

अवर अभियंता निर्दिष्ट कार्य वितरण के अनुसार कार्यो हेतु निर्माण सामग्री की मात्राओं को ठीक-ठाक माप करके माप पुस्तिकाओं में अंकित करने तथा भुगतान के बिलों पर यथा स्थिति मात्राओं को सत्यापित करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है। वे प्रत्येक अधीनस्थ निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता मानको के अनुसार स्थल पर कार्य कराने के लिये उत्तरदायी है। ठेकेदारों के कार्यो में कम प्रगति, अनियमित कार्य प्रणाली अधोमानक सामग्री की आपूर्ति अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभागीय निर्देशों के नियमों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में उच्चाधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराने के लिये भी उत्तरदायी है।

मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दि0 18-10-1982 के द्वारा अवर अभियंता/सहायक अभियंता के कर्तव्य उत्तरदायित्व प्रसारित किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत है :-

Junior Engineer/Asstt. Dev. Officer

Junior Engineer is responsible to carry out and supervise all works in his charge in proper order. He should bring to the notice of the Asstt. Engineer any difficulty noticed by him and make immediate arrangement for rectifying difficulties. He should submit punctually the progress report of the works to the Assistant Engineer as and when required. He is responsible that all works in his charge are carried out in a workman like manner and according to instruction.

विषयगत कार्य के स्वीकृत आंगणन में जी0एस0बी0 के प्राविधान होने के कारण कार्यस्थल पर जी0एस0बी0 के ओवर साइज पत्थर को तुडवाकर कार्य सम्पादित कराया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादन के पूर्व जी-1 का कार्यस्थल पर एकत्रीकरण किया गया था। अनुबंध के **Section 4 part 1 General Condition of contract** के **C.Quality Control** के प्रस्तर 30, 30.1, 31 एवं 31.1 में निम्नानुसार उल्लिखित है:-

30. Identifying defects.

30.1 The Engineer shall check the Contractor's work and notify the Contractor of any Defects that are found. Such checking shall no affect the Contractor's responsibilities. The Engineer may instuct the Contractor to search for a Defect and to uncover and test any work that the Engineer considers may have a Defect.

31 Tests

31.1 For Carrying out mandatory tests as prescribed in the specification. The Contractor shall establish field laboratory at the location decided by Engineer. The field laboratory will have minimum equipments as specified in the Contract Data. The contractor shall be solely responsible for :

a. Carrying out the mandatory tests prescribed in the Specifications, and

b. For the correctness of the test result, whether preformed in his laboratory or elsewhere.

उक्त प्राविधानों के अंतर्गत उपखण्ड के पत्र दि0 29-12-2016 द्वारा संबंधित ठेकेदार, श्री भरतराज वर्मा, देवगढ धारूपुर, फैजाबाद को नोटिस दिया गया कि "आपके नाम गठित अनुबंध सं0-17/एसई0 दिनांक 16.12.2016 द्वारा पटरंगा ग्राम में प्र0म0 रोड से सुलतानपुर मार्ग पर पेन्टिंग कार्य कराया जा रहा है, जिस पर जी0एस0बी0 में बडे-बडे पत्थर डाले गये हैं जो प्राक्कलन एवं मानक के अनुरूप नहीं है। अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि जी0एस0बी0 के बडे पत्थरों को तोडकर मानक के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें तथा अपनी अनुपालन आख्याभी प्रेषित करें एवं जी-1 को हटाकर जी0एस0बी0 का प्रयोग करना सुनिश्चित करें।" जिसके अनुपालन में ठेकेदार द्वारा अपने पत्र द्वारा आख्या दी गयी। उलेखनीय है कि अनुबंध के प्राविधान के अनुसार जी0एस0बी0 ओवर साइज के पत्थर को तुडवाकर जी0एस0बी0 का प्रयोग सुनिश्चित कराया गया। कदाचित जी0एस0बी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के ओवरसाइज बडे पत्थर, जो जी-1 जैसे परिलक्षित हो रहे थे, का प्रयोग यदि त्रुटिवश कहीं हो गया हो तो इसमें भी किसी प्रकार की शासकीय हानि नही हुई है। तथा साथ ही गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल असर नही पडा है।

कार्य के प्रारम्भिक आंगणन में जी-1 का प्राविधान किया गया था जिसके आधार पर कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जी-1 की दर जी0एस0बी0 से अधिक है। इस प्रकार उनके द्वारा कार्यस्थल पर कराये गये जी0एस0बी0 के कार्य की ही मापी की गयी। मार्ग पर जी-2 ग्रेड गिटटी के साथ निर्धारित निंग मैटेरियल का प्रयोग ठेकेदार द्वारा किया गया था, तदनुसार ही कार्य का मापी की गयी थी। जी0एस0बी0 के कार्य की मापी अवर अभियंता द्वारा की गयी। उनके द्वारा सहायक अभियंता के पद के दायित्वों के अंतर्गत गुणवत्ता सुनिश्चित कर देयक पारित किया गया, जिस पर प्रखण्ड स्तर पर पूर्ण संतुष्टि के उपरांत अधिशासी अभियंता द्वारा भुगतान किया गया। इस प्रकार के कृत्य से किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई।

अधीक्षण अभियंता की निरीक्षण आख्या दिनांक 07.10.2017 द्वारा आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गयी, जिसमें अधीक्षण अभियंता द्वारा संबंधित ठेकेदार, अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता आदि किसी की मौजूदगी रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है न ही उनकी जानकारी के अनुसार संबंधित किसी अभियंता एवं संबंधित ठेकेदार को निरीक्षण के पूर्व अधीक्षण अभियंता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। कथित निरीक्षण के सबंध में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। जांच आख्या में कराये गये कार्य के भुगतान के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी जांच आख्या में उल्लिखित नही है। जांच आख्या प्रेषित करने के पूर्व उनसे भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। इस प्रकार उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गयी आख्या नियमों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

प्रश्नगत कार्य एवं उसकी मापी अवर अभियंता के करने के बाद अन्य अभियंताओं द्वारा कार्य को संतोषजनक के कारण उस पर पेन्टिंग स्तर तक का कार्य सम्पादित कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा पारित देयक नियमानुकूल रही तथा उनके द्वारा सहायक अभियंता के पद के दायित्वों के अंतर्गत कार्यो का पर्यवेक्षण कर गुणवत्तापूर्वक कार्यो को सम्पादित कराया गया। अत: कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है।

अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-अयोध्या के पत्र दि0 18.12.2018 जो निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को संबोधित है, के द्वारा पटरंगा ग्राम से सुलतानपुर के मार्ग के संबंध में आख्या दी गयी है कि पेन्टिंग स्तर तक का कार्य पूर्ण है, जिससे स्वत: स्पष्ट है कि उनके द्वारा सम्पादित कराया गया कार्य स्वीकार्य योग्य था, जिसके कारण उनके द्वारा कराये गये कार्य पर ऊपर का कार्य अन्य सहायक अभियंताओं द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है।

आरोप पत्र के समर्थन में साक्ष्य सं0-(1) अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-फैजाबाद के पत्र दि0 07.10.2017 की जांच रिपोर्ट की प्रति लगायी गयी है। उक्त जांच आख्या में यह उल्लिखित नहीं है कि जांच किस तिथि को किस चैनेज पर किसके समक्ष की गयी है। उनके समक्ष कथित निरीक्षण नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुई। जी-2 की कुटाई में स्क्रीनिंग मैटैरियल का उपयोग किया था। रोड रोलर से मानक के अनुरूप कुटाई करायी गयी थी। आंगणन के सबबेस में जी0एस0बी0 ली गयी है, जिसके अनुसार ही कार्यस्थल पर जी0एस0बी0 का प्रयोग कराया गया। कराये गये कार्य की अवर अभियंता द्वारा मापी करने के बाद गुणवत्ता सुनिश्चित कर सहायक अभियंता के दायित्वों के अंतर्गत देयक पारित किया गया। जिस पर अधिशासी अभियंता द्वारा पूर्ण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संतुष्टि के उपरांत देयक का भुगतान किया गया। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा पारित किया गया देयक नियमानुकूल रहा है।

निर्माण सामग्री के कोई भी सीव टेस्ट नहीं लगाये गये है, जिससे निरीक्षण आख्या के प्रतिकूल तथ्य उनके ऊपर स्थापित नहीं होता है। उनके द्वारा माप पुस्तिका 718 एल के पृष्ठ सं0-32-33 एवं 41-42 पर अवर अभियंता द्वारा मापांकन किया गया है, अवर अभियंता द्वारा माप 50-50 मी0 पर की गयी है। इस प्रकार कही-कही चैनेज का उल्लेख उनके द्वारा त्रुटिवश अंकित हो गया था, परन्तु निर्माण कार्य के सम्पादित कार्य की लम्बाई में कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार कथित लिपिकीय त्रुटि के कारण कोई शासकीय क्षति नहीं हुई है। अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट में यह उल्लिखित नही है कि विषयगत माग्र के किस चैनेज पर जांच की गयी है, कथित जांच आख्या के समर्थन में कोई भी टेस्ट नहीं लगाया गया है, जिसके कारण उनके विरूद्ध कूटरचित व फर्जी तथा सम्पूर्ण भुगतान अनियमित पाये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार उनके द्वारा कथित शासकीय क्षति नहीं पहुंचायी गयी है। आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है।

निरीक्षण आख्या में उल्लेख नही है कि ठेकेदार को इंगित कमी के लिये अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता स्तर से तत्समय नोटिस जारी किया गया हो। यदि कोई कमी परिलक्षित हुई हो तो अनुबंध गतिमान होने के कारण संबंधित ठेकेदार से इंगित कमी को ठीक कराया जा सकता है अथवा ठीक न करने पर उसके विरूद्ध अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है परन्तु ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित न किये जाने के कारण उनके विरूद्ध कथित आरोप इस साक्ष्य से प्रमाणित नही होता है। साक्ष्य सं0-(2) माप पुस्तिका सं0-718 एल पृष्ठ सं0-24-26 एवा 36-38 की प्रति लगायी गयी है, के संबंध में अवगत कराया गया है कि कराये गये कार्य की मापी अवर अभियंता द्वारा की गयी। जिस पर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरांत उने द्वारा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ठेकेदार का देयक सहायक अभियंता के दायित्वों के अंतर्गत पारित किया गया है। जिस पर अधिशासी अभियंता द्वारा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत भुगतान किया गया। इस प्रकार इस साक्ष्य से उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित नही होता है।साक्ष्य संख्या-(3) तत्का0 अवर अभियंता के चार्ज न देने हेतु उनके चार्ज अधिग्रहण हेतु गठित करने का कार्यालय आदेश है जो उनसे संबंधित नी है। इस प्रकार कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है। इस प्रकार इस साक्ष्य से उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

वर्तमान में मार्ग पर पेन्टिंग स्तर तक कार्य पूर्ण है। वर्तमान में विषयक कार्य की पेन्टिंग स्तर तक स्टेटस है। उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है तथा उनके विरूद्ध आरोप सं0-2 प्रमाणित नही होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अनुपूरक अभ्यावेदन दिनांक 31.07.2019</u>

उनके पर्यवेक्षण में कराये गये सम्पादित कार्य के ऊपर प्रखण्ड से उनके स्थानान्तरण के पश्चात कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कराकर भुगतान किया जा चुका है। मा0 सभापति सावर्जनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के पत्र दि0 02-07-2018 के क्रम में विषयक मार्ग का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-अयोध्या द्वारा दि0 12.06.2019 को किया गया। उनके द्वारा जारी निरीक्षण टिप्पणी में विषयक मार्ग के स्थलीय सत्यापन में कार्य की स्वीकृत लम्बाई 1290.00 मी0 में शून्य से लेपन स्तर तक के प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण पाया गया। विषयक कार्य की फोटोग्राफ उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित की गयी है। इससे स्वत:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्पष्ट है कि उनके पर्यवेक्षण में सम्पादित कराया गया कार्य गुणवत्ता पूर्वक एवं संतोषजनक रहा है। कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है।

आरोप संख्या-3

रूदौली अमानीगंज मार्ग से बिगिनियापुर पुल तक नहर पटरी पर पेटिंग कार्य-

पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश वर्ष 2012-13 के अंतर्गत स्वीकत रूदौली अमानीगंज माग से विगिनियापुर पुल तक नहर पटरी पेटिंग का कार्य स्वीकृत आगणन में जी0एस0बी0 का प्राविधान होने के उपरान्त भी कार्यस्थल पर जी-1 ग्रेड गिट्टी का प्रयोग किया गया है एवं भुगतान जी०एस०बी० का किया गया। कार्यस्थल पर जी-2 की कुटाई में स्क्रीनिंग मैटेरियल का प्रयोग नही किया गया। जबकि आगणन में सबवेस ने जी0एस0बी0 ली गई है जबकि स्थल पर जी-1 45-90 शंकरगढ़ गिट्टी प्राप्त हुई इस प्रकार श्री एस0पी0 राव द्वारा जी०एस०बी० कार्य पर मु0-19,33,644.00 तथा जी-२ कार्य पर मु0-16,15,410.00 रू0 का कूटरचित फर्जी एवं अनियमित भुगतान कराते हुये शासकीय क्षति पहुचाई गई, जिसके लिए श्री राव उत्तरदायी पाये गये है ।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर-

जॉच अधिकारी द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर नही दिया गया ।

जॉच अधिकारी की जॉच आख्या-

अपचारी अधिकारी द्वारा अपना बचाव उत्तर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अनुमोदित आरोप पत्र के संलग्न साक्ष्य अधीक्षण अभियन्ता, परि0-फैजाबाद की निरीक्षण आख्या दि0 07.10.2017 में दर्शायी गयी स्थितियॉ बचाव उत्तर के अभाव में उक्त संपर्क मार्ग के निर्माण में अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुये अनियमित एवं कूटरचित तरीके से जी०एस०बी० कार्य पर मु0रू0-19,83,644.00 तथा जी-२ कार्य पर मु0रू0-16,15,410.00 का फर्जी एवं अनियमित भुगतान कराने का आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाया जाता है ।

अपचारी अधिकारी का अभिकथन/अभ्यावेदन-

उ०प्र० शासन, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप दि0 12.04.2018 के क्रम में जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0- लखनऊ द्वारा जारी आरोप पत्र पर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु उनके द्वारा जॉच अधिकारी से बचाव अभिलेख की मांग की गयी। परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा बचाव अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया, जिसके कारण लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असुविधा हुई। जॉच अधिकारी द्वारा उनके विरूद् आरोप को स्थापित करते हुये एक पक्षीय होने जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करा दी गयी। जॉच आख्या एक पक्षीय होने तथा बचाव अभिलेख न उपलब्ध कराने के बावजूद जॉच आख्या प्रेषित किया जाना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण् जांच आख्या निरस्त होने योग्य है

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक कार्य के प्रारम्भिक आगणन में जिसमें जी-1 का प्राविधान था, जिसके क्रम में शासन द्वारा स्वीक्रति प्रदान हुई थी प्रारम्भिक आगणन में हुए जी०एस०बी० के प्राविधान की छायाप्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त विषयक कार्य के प्रथम किस्त का कार्य भी तकनीकी स्वीकृत आगणन के प्राविधान जी-1 के अनुसार ही कार्य सम्पादित हुआ था अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अयोध्या के पत्र दि0 16.01.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता प्रेषित आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कार्य हेतु संलग्न जी-1 की दरें यदि गणना की जाए तो जी0एस0बी के सापेक्ष लगभग 900 रू0 प्रति घन मीटर अधिक थी मेरे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा अनुबन्ध के अनुसार जी0एस0बी0 के दर का ही भुगतान हेतु संस्तुति की गयी है जहॉ कहीं जी0एस0बी ओवरसाइज था, जो जी-1 जैसा परिलक्षित हो रहा था, उसके लिए मेरे द्वारा ठेकेदार को पत्थर तोड़ने के लिए निर्देशित किया गया, मेरे एवं सम्बन्धित ठेकेदार को पत्र लिखा गया था, फिर भी यदि कहीं जी0एस0बी ओवरसाइज पत्थर न तुड़ने के कारण जी-1 परिलक्षित हुआ तो उसे जी0एस0बी मानते हुए उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर जी0एस0बी मानते हुए मापी की गयी, तद्नुसार ही भुगतान हेतु देयक उपखण्ड स्तर पर प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा जी0एस0बी के ओवरसाइज पत्थर, जो जी-1 के रूप में परिलक्षित हुए, में जी-1 को कोई भुगतान नही किया गया है।

विषयक कार्य रूदौली अमानीगंज मार्ग से विगिनियापुर पुल तक नहर पटरी पेटिंग कार्य मे जी0एस0बी का कार्य गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कराकर कार्य का पर्यवेक्षण् कर दिनांक 11.01.2018 एवं 12.01.2018 को जी0एस0बी के ओवरसाइज पत्थर को जो जी-1 परिलक्षित हो रहे थे, को जी0एस0बी मानते हुए ही मापी की गयी, जिस पर उनके द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त देयक पारित किया गया तथा तदोपरान्त प्रखण्ड स्तर पर सम्प्रेक्षण लिपिक के सम्प्रेक्षण तथा प्रखण्डीय लेखाधिकारी के विवीक्षित करने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ठेकेदार को भुगतान किया गया। लोक निर्माण विभाग के इतिहास प्रशासनिक संरचना तथा कार्य प्रणाली के संक्षिप्त परिचय में अधिशासी अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता का दायित्व निम्नानुसार उल्लिखित है :-

<u>अधिशासी अभियन्ता</u>

खण्ड के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरान्त आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिये उत्तरदायी है। समस्त कार्यों के स्भी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण् तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कराने के लिये उत्तरदायी है। अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण सामग्री की मात्राओं को ठीक-ठाक माप करके माप-पुस्तिकाओं में अंकित करने तथा भुगतान के बिलो पर यथास्थिति मात्राओं को सत्यापित करने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है ।

<u>अवर अभियन्ता</u>

अवर अभियन्ता निर्दिष्ट कार्य वितरण के अनुसार कार्यों हेतु निर्माण सामग्री की मात्राओं को ठीक-ठाक माप करके माप-पुस्तिकाओं में अंकित करने तथा भुगतान के बिलों पर यथास्थिति मात्राओं को सत्यापित करने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है। वे प्रत्येक अधीनस्थ निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता मानकों के अनुसार स्थल पर कार्य कराने के लिए उत्तरदायी है। ठेकेदारों के कार्यों में कम प्रगति, अनियमित कार्य प्रणाली अधोमानक सामग्री की आपूर्ति अथवा विभागीय निर्देशों के नियमों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में उच्चाधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराने के लिए भी उत्तरदायी है ।

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र 18.10.1982 के द्वारा अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के कर्तव्य उत्तरदायित्व प्रसारित किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत है -

<u>Junior Engineer/Assit. Dev. Officer :</u>

Junior engineer is responsible to carry out and supervise all works in his charge in proper order. He should bring to the notice of the Asst. Engineer any difficulty noticed by

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

him and make immediate arrangement for rectifying difficulties. He should submit punctually the progress report of the works to the Assistant Engineer as and when required. He is responsible that all works in his charge are carried out in a workman like manner and according to instruction.

विषयगत कार्य के स्वीकृत आगणन में जी0एस0बी के प्राविधान होने के कारण कार्य स्थल पर जी0एस0बी के ओवरसाइज पत्थर को तुड़वाकर कार्य सम्पादित कराया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादन के पूर्व जी-1 का कार्यस्थल पर एकत्रीकरण किया गया था। अनुबन्ध के Section 4 Part 1 General Condition of Contract के C. Quality Control के प्रस्तर 30, 30.1 एवं 31 में निम्नानुसार उल्लिखित है:-

30. Identifying defects.

30.1 The Engineer shall check the Contractor's work and notify the Contractor of any Defects that are found. Such checking shall no affect the Contractor's responsibilities. The Engineer may instuct the Contractor to search for a Defect and to uncover and test any work that the Engineer considers may have a Defect.

31 Tests

31.1 For Carrying out mandatory tests as prescribed in the specification. The Contractor shall establish field laboratory at the location decided by Engineer. The field laboratory will have minimum equipments as specified in the Contract Data. The contractor shall be solely responsible for :

a. Carrying out the mandatory tests prescribed in the Specifications, and

b. For the correctness of the test result, whether preformed in his laboratory or elsewhere

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत् उनके पत्र दिनांक 29.12.2016 द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार श्री भरत राज वर्मा, धारूपुर, फैजाबाद को नोटिस दिया गया कि "आपके नाम गठित अनुबन्ध सं0-15/एस०ई० दि0 16.12.2016 द्वारा रूदौली अमानीगंज मार्ग से बिगिनिया पुल (नहर पटरी) पेन्टिंग कार्य कराया जा रहा है जिस पर जी0एस0बी0 में बडे बडे पत्थर डाले गये है जो प्राक्कलन एवं मानक के अनुरूप नही हैं अत आपको निर्देशित किया जाता है कि जी0एस0बी के बडे पत्थरों को तोड़कर मानक के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें तथा अपनी अनुपालन आख्या भी प्रेषित करें एवं जी-1 को हटाकर जी0एस0बी का प्रयोग करना सुनिश्चित करें" जिसके अनुपालन में ठेकेदार द्वारा अपने पत्र द्वारा आख्या दी गई पत्र दि0 23.12.2016 द्वारा श्री मोहसिन खान ठेकेदार सुफियान रूदौली फैजाबाद को अनुबन्ध सं0 13 एवं 14 दिनांक 16.12.2016 के अन्तर्गत् कराये जा रहे कार्यो में जी0एस0बी0 के ओवर साइज के पत्थर को तोड़ने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में ठेकेदार द्वारा अपने पत्र शून्य द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया। विषयक आगणन के प्रारम्भिक आगणन में जी-1 का प्राविधान किया गया था जिसके आधार पर कार्य की स्वीकति प्राप्त हुई थी जी-1 की दर जी0एस0बी से अधिक है। अनुबन्ध के प्राविधान के अनुसार जी0एस0बी का प्रयोग सुनिश्चित कराया गया। कदाचित जी0एस0बी के ओवर साइज पत्थर जो जी-1 जैसे परिलक्षित हो रहे थे, यदि त्रुटिवश कही प्रयोग हो गया हो तो इसमें भी किसी प्रकार की शासकीय हानि नही है। ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर जी0एस0बी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा कार्यस्थल पर कराये गये कार्य जी0एस0बी के कार्य की ही मापी की गयी। मार्ग पर जी-2 ग्रेड गिट्टी के साथ निर्धारित निंग मैटेरियल का प्रयोग ठेकेदार द्वारा किया गया था, तद्नुसार ही कार्य की मापी की गयी थी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड अयोध्या के पत्र दि0 18.12.2018 जो निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण् अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित है, के द्वारा अमानीगंज पुल से विगिनिया पुर सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में आख्या दी गयी है कि वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा जी-3 स्तर तक का 90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण कर दिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा कराया गया कार्य स्वीकार्य योग्य था, जिसके कारण् उनके द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य पर ऊपर का कार्य अन्य अभियंताओं द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है।

उनके द्वारा कराये गये सम्पादित कार्य एवं उसके भुगतान के बाद अन्य सहायक अभियंता द्वारा कार्य को संतोषजनक के कारण उस पर जी-२ स्तर तक का कार्य सम्पादित कराया गया, स्पष्ट है कि उनके द्वारा पारित देयक नियमानुसार होने के कारण उनके सहायक अभियंता के पद के दायित्वों के अन्तर्गत कार्यों का पर्यवेक्षण कर गुणवत्ता पूर्वक कार्यों को सम्पादित कराया गया। अत: कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है। साक्ष्य (1) अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0- फैजाबाद के पत्र दिनांक 07.10.2017 की जांच रिपोर्ट की प्रति लगायी गयी है। उक्त जॉच आख्या में यह उल्लिखित नही है कि जांच किस तिथि को किस चैनेज पर किसके समक्ष की गयी है। मेरे समक्ष कथित निरीक्षण नही किया गया है, जिसके कारण प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुई कार्यस्थल पर जी0एस0बी का प्रयोग किया गया था कार्यस्थल पर जर-2 का कार्य कराने में स्क्रीनिंग मैटेरियल का प्रयोग किया गया अधीक्षण अभियंता द्वारा जी-1 के प्रयोग एवं जी-2 में स्क्रीनिंग मैटेरियल प्रयोग के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नही लगाया गया है, जिसके कारण अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट से उनके विरूद् आरोप प्रमाणित नही होता है ।

आरोप के समर्थन में निर्माण सामग्री के कोई भी सीव टेस्ट नही लगाये गये है, जिससे निरीक्षण आख्या के प्रतिकूल तथ्य उनके विरूद् स्थापित नही होता है। माप पुस्तिका 718 एल के पष्ठ संख्या 32-33 एवं 41-42 पर अवर अभियंता द्वारा मापांकन किया गया है, जिस पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त देयक को पारित किया गया। अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट में यह उल्लिखित नही है कि विषयगत मार्ग के किस चैनेज पर जांच की गयी है, कथित जांच आख्या के समर्थन में कोई भी टेस्ट नही लगाया गया है, जिसके कारण उनके विरूद् शासकीय क्षति पहुंचाये जाने का कोई आरोप प्रमाणित नही होता है। कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है ।

निरीक्षण आख्या में उल्लेख नही है कि ठेकेदार को इंगित कमी के लिये अधीक्षण अभियंता/ अधिशासी अभियंता स्तर से नोटिस जारी किया गया हो। यदि कोई कमी परिलक्षित हुई हो तो अनुबन्ध गतिमान होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार से इंगित कमी को ठीक कराया जा सकता है अथवा ठीक न करने पर उसके विरूद् अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है परन्तु ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित न किये जाने के कारण उनके विरूद् कथित आरोप इस साक्ष्य से प्रमाणित नही होता है ।

आरोप के समर्थन में साक्ष्य सं0-2 माप पुस्तिका संख्या पृष्ठ संख्या-32-33 एवं 41-42 तक की प्रति लगायी गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कराये गये कार्य की मापी अवर अभियंता द्वारा की गयी है, जिस पर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त उनके द्वारा देयक पारित किया गया। इस प्रकार इस साक्ष्य से उनके विरूद् आरोप प्रमाणित नही होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त तीनों मार्गों के मेरे द्वारा सम्पादित कराये गये कार्यों के उपर के कार्यों के भुगतान हेतु अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड अयोध्या के द्वारा अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परिमण्डल अयोध्या के द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया जिसके क्रम में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या के पत्र दि0- 26.02.19 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य के उपर के कार्यों के भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में आगे कार्य की मापी अन्य अभियंता से कराते हुए समस्त कार्य संतोषजनक होने के कारण अन्य सहायक अभियंता द्वारा पारित देयक के बाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता द्वारा भुगतान किया गया है। उक्त् तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है।

अपचारी अधिकारी का अनुपूरक अभ्यावेदन दिनांक 31.07.2019

उनके पर्यवेक्षण में कराये गए सम्पादित कार्य के उपर प्रखण्ड से उनके स्थानान्तरण के पश्चात कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कराकर भुगतान किया जा चुका है। भुगतान किए गए एम0बी0 की छायाप्रति संलग्नक है मा0 सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के पत्र दि0 02.07.2018 के क्रम में विषयक मार्ग का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमंडल अयोध्या द्वारा दिनांक 02.07.2019 को किया गया । उनके द्वारा जारी निरीक्षण टिप्पणी में विषयक मार्ग के स्थलीय सत्यापन में कार्य की स्वीक़त लम्बाई 5315.00 मी0 में शून्य से लेपन स्तर तक के प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण पाया गया। विषयक कार्य की फोटोग्राफ उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित की गयी है, से स्पष्ट है कि उनके पर्यवेक्षण में सम्पादित कराया गया कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं संतोषजनक रहा है ।

आरोप संख्या 4

राजकीय बालिका इण्टर कालेज रूदौली में छात्रावास का निर्माण-

शिक्षा विभाग के केन्द्र पुरोनिधानित राजकीय बालिका इण्टर कालेज रूदौली में छात्रावास का निर्माण कार्य श्री एस0पी0 राव के पर्यवेक्षण में कराया गया। कार्य के मापांकन में गम्भीर अनियमिततायें परिलक्षित हुई। कार्य के स्वीक्रत प्राक्कलन में शैलो फाउन्डेशन का प्राविधान होने के उपरान्त भी उनके द्वारा कार्य स्थल पर पाईल शैलो फाउन्डेशन का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार इस भवन कार्य में प्रयोग होने वाली समस्त आर0सी0सी0 कार्यों में सरिया निर्धारित डिजाइन के अनुसार न डालते हुये मापांकन के अनुसार मात्र एक ही लाइन में मापांकन करवा कर भुगतान करवा दिया गया। जबकि रिग्फोर्समेण्ट सरिया का कार्य (Hidden) छुपी हुई प्रवृत्ति का होने के कारण विधिवत रिकार्ड मापांकन करवाना चाहिये था। श्री राव द्वारा कमरों की चिनाई (Brick Work) करवाते समय ध्यान न देते हुये दरवाजों की चौखटें गलत स्थान पर लगवा दी गयी, जिसके कारण कमरों में अलमारी हेतु स्थान बाधित हुआ तथा पुन उक्त सभी चौखटें (Brick Work) तोडवाकर ठीक स्थान पर लगानी पडी। इस प्रकार आपका शिथिल एंव अनियमित पर्यवोक्षण तथा गलत मापांकन कराने के लिए आप उत्तरदायी पाये जाते है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

जॉच अधिकारी द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर नही दिया गया ।

जॉच अधिकारी की जॉच आख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी द्वारा अपना बचाव उत्तर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अनुमोदित आरोप पत्र के संलग्न साक्ष्य माप पुस्तिका संख्या-714/एल के पृ0सं0-22 से 24 के अनुसार शिथिल एवं अनियमित पर्यवेक्षण तथा गलत मापांकन कराने का आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाया जाता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभिकथन/अभ्यावेदन-</u>

उ0प्र0 शासन ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दि0- 12.04.2018 के क्रम में जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- लखन द्वारा जारी आरोप पत्र पर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु उनके द्वारा जॉच अधिकारी से बचाव अभिलेख की मांग की गयी । परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा बचाव अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया, जिसके कारण लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असुविधा हुई । जॉच अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध आरोप को स्थापित करते हुये एक पक्षीय जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करा दी गयी । जॉच आख्या एक पक्षीय होने तथा बचाव अभिलेख न उपलब्ध कराने के बावजूद जॉच आख्या प्रेषित किया जाना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण जांच आख्या निरस्त होने योग्य है ।

उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यस्थल की उपलब्ध भूमि का कुछ भाग गहरी होने के कारण आवश्यकतानुसार भवन की मजबूती हेतु कॉलम एवं बीम डलवाकर नीव की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु कार्य सम्पादित कराया गया तथा शेष भाग में शैलो फाउन्डेशन का ही कार्य कराया गया। अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण के समय दि0- 01.10.2016 को मौखिक रूप से निर्देश दिया गया था कि तालाब को देखते हुये भवन की नीव की मजबूती के लिये इक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कराये जाने हेतु निर्देश दिये इस प्रकार कार्यस्थल की आवश्यकता तथा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में तद्नुसार कार्य कराकर ही अवर अभियन्ता द्वारा मापी की गयी, जिसका उनके द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित कर देयक पारित किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही भुगतान किया गया है। प्रस्तावित भवन के उत्तर में कार्यस्थल की भूमि पर आंशिक भाग लगभग चौथाई भाग में साइड में गहरा होने के कारण भवन की सुरक्षा हेतु गडढे में आर0सी0सी कॉलम बनवाकर उस पर बीम डलवाकर फिलिंग का कार्य कराते हुए चुनाई का कार्य कराया गया। तद्नुसार ही भुगतान हेतु मापी की गयी।

प्रश्नगत कार्य तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के कार्यस्थल पर दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुपालन में आवश्यकतानुसार भवन की मजबूती हेतु कॉलम एवं बीम डलवाकर अतिरिक्त सुरक्षात्मक कार्य किया गया तथा अवशेष भाग में शैलो फाउन्डेशन का कार्य कराया गया, तद्नुसार ही अवर अभियन्ता द्वारा मापी की गयी। भवन के कार्यों का भुगतान उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष के अन्तर्गत ही प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए कोई अतिरिक्त धन की आवश्यकता नही थी। इस प्रकार के कृत्य से किसी प्रकार की वित्तीय क्षति नही हुई है। आर0सी0सी0 के कार्य में प्रयुक्त सरिया की मापी का कार्य अलग माप पुस्तिका में अंकित की गयी थी, जिसे वहां कैरीफारवर्ड करते हुये देयक हेतु एक मुश्त अवर अभियन्ता द्वारा मापी ले ली गयी। इस प्रकार अवर अभियन्ता द्वारा की गयी मापी नियमानुकूल नही है। मापांकन अवर अभियन्ता द्वारा किया जाता है। अपितु कार्य की मापी के अनुसार कार्य स्थल पर कार्य चेक कर तद्नुसार प्राप्त देयक को भुगतान हेतु पारित किया जाता है। तद्नुसार उनके द्वारा देयक पारित किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चौखट ड्राइंग के अनुसार लगाया गया था। तदनुसार कराये गये कार्य का अवर अभियन्ता द्वारा किये गये मापांकन के आधार पर देयक पारित किया गया, जिससे किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नही हुई है। इस प्रकार अवर अभियन्ता द्वारा गलत मापांकन नही किया गया है। पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त उनके द्वारा देयक पारित किया त्था अधिशासी अभियन्ता द्वारा भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि माप पुस्तिका से होती है। उनके द्वारा अनियमित तथा गलत मापांकन नही कराया गया है, से स्पष्ट है कि अपने पद के दायित्वों का सजगतापूर्वक निर्वहन किया गया। इस प्रकार विषयक कार्य के गलत मापांकन एवं शिथिलता के लिए वे दोषी नही है।

कार्य का उनके द्वारा चालू देयक का भुगतान पारित किया गया था। कार्य संतोषजनक होने के कारण कार्य का आगे का भुगतान लगभग 95 प्रतिशत अन्य सहायक अभियन्ता द्वारा पारित किया गया। उनके द्वारा सम्पादित कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने के कारण वर्तमान में भवन के अगले स्तर का कार्य कराया जा रहा है।

आरोप के समर्थन में माप पुस्तिका सं0-714 एल के पृष्ठ सं0-22-24 तक की प्रति लगायी गयी है, परन्तु रिकार्ड मेजरमेन्ट की कॉपी नही लगायी गयी है। रिकार्ड मेजरमेन्ट की कॉपी न लगने के कारण त्रुटिवश उनके विरूद्ध् द्वेशवष कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। असत्य तथ्यों एवं सूचना पर आधारित होने के कारण उनके विरूद्ध आरोप पत्र का गठन एवं निर्गमन होने योग्य है।

विषयगत के कार्य के निरीक्षण के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-अयोध्या के पत्र दिनांक 25.07.2018 में स्पष्ट उल्लेख है कि निरीक्षण के समय भूतल पर बालिकाओं के रहने हेतु 3 कमरे 01 अदद किचेन, पेन्टरी एवं बाथरूम, स्टोर, टायलेट, डाइनिंग रिक्रेशन/ आगन्तुक कक्ष मार्डन आफिस बेडरूम एवं बाथरूम छत एवं प्लास्टर कार्य पूर्ण, कमरों के दरवाजे में खिडकी में फ्रेम फिक्स कार्य होना पाया गया। भवन तालाब के किनारे स्थित है। जिसमें मछलियां पालन का कार्य मत्स्य पालक द्वारा किया जाता है तथा बरसात के समय अत्याधिक समय जल भराव के स्थिति में भवन की दीवारों एवं नीव में पानी जाने से भविष्य में क्रेकस उत्पन्न होने की आशंका रहेगी। अस्तु छात्रावास की सुरक्षा की दृष्टि से भवन के पीछे व एक साइड से तालाब के किनारे रिटेनिंगवाल बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि भवन का अतिरिक्त सुरक्षात्मक प्रोटेक्शन का कार्य आवश्यक था जिसे उच्चाधिकारियों के निर्देशों के क्रम में कार्य सहायक अभियन्ता के पद के दायित्वों के अन्तर्गत सजगतापूर्वक निर्वहन कर सम्पादित कराया गया। इस प्रकार उनके द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नही की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0, परि0-अयोध्या के पत्र दि0 27.07.2018 के द्वारा जारी निरीक्षण टिप्पणी में कोई प्रतिकूल तथ्य इंगित नही किया गया है।

<u>आरोप संख्या-6</u>

<u>विकास खण्डीय भवन पूरा बाजार का निर्माण</u>

विकास खण्डीय भवन पूरा बाजार का कार्य कराते समय कई अनियमितताऐं बरती गई। इस कार्य पर आर0सी0सी0 के सभी कार्यो में सरिया के रिकार्ड मेजरमेण्ट माप पुस्तिका पर अंकित नही किये गये। श्री एस0पी0 राव द्वारा इसी भवन में पोर्च निर्धारित ड्राइंग के अनुसार न बनाकर मनमाने ढंग से बनाया गया है। भूतल की इण्टरेन्स लाबी में बीम निर्धारित गहराई से कम गहराई की डाली गई, जबकि मापांकन ड्राइंग के अनुसार ही कर दिया गया। इस प्रकार शिथिल पर्यवेक्षण एवं गलत मापांकन कराने के लिये श्री राव उत्तरदायी पाये गये है।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जॉच अधिकारी द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर नही दिया गया।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अपना बचाव उत्तर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अनुमोदित आरोप पत्र के संलग्न साक्ष्य माप पुस्तिका संख्या-724/एल के प0सं0-12 तथा 34 से 39 के अनुसार कार्य तकनीकी मानक के अनुरूप न करवाने, शिथिल पर्यवेक्षण एवं गलत मापांकन कराने का आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाया जाता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभिकथन/अभ्यावेदन</u>

उ0प्र0 शासन ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.04.2018 के क्रम में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ द्वारा जारी आरोप पत्र पर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु उनके द्वारा जॉच अधिकारी से बचाव अभिलेख की मॉग की गयी। परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा बचाव अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया, जिसके कारण लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असुविधा हुई। जॉच अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध आरोप को स्थपित करते हुये एक पक्षीय जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करा दी गयी। जॉच आख्या एक पक्षीय होने तथा बचाव अभिलेख न उपलब्ध कराने के बावजूद जॉच आख्या प्रेषित किया जाना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण जॉच आख्या निरस्त होने योग्य है। विषयक कार्य उनके द्वारा सम्पादित नही कराया गया। उनके द्वारा विषयक सम्पादित कार्य का देयक पारित नही किया गया है। जिसकी पुष्टि आरोप पत्र के साथ लगे साक्ष्य से होती है। इस प्रकार उनके विरूद्ध कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

_ कथित आरोप के समर्थन में माप पुस्तिका सं0-724एल के पृष्ठ सं0-12 तथा 34 से 39 की छायाप्रति लगायी गयी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त मापी को उनके द्वारा चेक नही किया गया है तथा इस मापी के आधार पर उनके द्वारा भुगतान हेतु देयक पारित नही किया गया है। इस प्रकार इस साक्ष्य से उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित नही होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अनुपूरक उत्तर/अभिकथन</u>

विषयक कार्य उनके द्वारा सम्पादित नही कराया गया। उनके द्वारा विषयक सम्पादित कार्य का देयक पारित नही किया गया। जिसकी पुष्टि आरोप के साथ लगे साक्ष्य से होती है। इस प्रकार उनके विरूद्ध कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार होने के कारण निरस्त होने योग्य है। कथित आरोप के समर्थन में माप पुस्तिका संख्या-724/एल के पृ0सं0-123 तथा 34 से 39 की छायाप्रति लगायी गयी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त मापी को उनके द्वारा चेक नही किया गया तथा इस मापी के आधार पर उनके द्वारा भुगतान हेतु देयक पारित नही किया गया। इस प्रकार इस साक्ष्य से उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित नही होता है। अत: कथित आरोप असत्य, भ्रामक एवं निराधार है तथा निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार कथित आरोप उनके विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-फैजाबाद के निरीक्षण दिनांक 12-06-2019 में बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के उसी मद में कार्य पूर्ण कराये जाने का उल्लेख किया गया है। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 06 आरोपों में से आरोप सं0-5 प्रमाणित एवं पर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित न होने के दृष्टिगत स्थापित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

होना नही पाया गया। आरोप सं0-1 व 2 में परिलक्षित शासकीय क्षति कार्य पूर्ण करा दिये जाने के दृष्टिगत अवशेष नही रह गया, फिर भी अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप सं0-1, 2, 3, 4 व 6 में अनियमित ढंग से कार्य कराने एवं भुगतान किये जाने की अनियमितता परिलक्षित होने की स्थिति पायी गयी है, जिसके लिये श्री एस0पी0 राव, सहायक अभियंता उत्तरदायी है। अतएव श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 18-12-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद में वर्ष 2012-13 में पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश योजनान्तर्गत कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो को अनियमित ढंग से कराये जाने एवं भुगतान किये जाने की अनियमितता हेतु उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई को परिनिन्दित किया जाता है"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-192/2019/2811/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
2- श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।